रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97 REGISTERED NO. DL-33001/97

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1997/ज्येष्ठ 31, 1919
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1997/JYAISTHA 31, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 जून, 1997

सा. का. नि 257:—पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (समूह "क" पद) भर्ती नियम 1983 के संबंध में भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में 5 अक्तूबर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या: सा का. नि. 516, दिनांक 17 सितम्बर, 1996 के अंग्रजी/हिन्दी पाठ में -

"(1) प्रारंभिक पैराग्राफ में समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1984" को "(समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1983" पढ़ा जाए।

(2) नियम 1(1) की पंक्ति 2 में "समूह 'क' को "समूह" 'क' पद) पढ़ा जाए,

(3) नियम 2 की पंक्ति में "समूह 'क' भर्ती नियम, 1984" को "(समूह 'क' पद) भर्ती नियम 1983" पढ़ा जाए;

(4) अनुसूची में "विस्तार अधिकारी (भूकम्प विज्ञान)" को "3. विस्तार अधिकारी (भूकम्प विज्ञान)" पढ़ा जाए;

(5) विस्तार अधिकारी (भूकम्प विज्ञान) के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित क्रम संख्या 3 के बाद, निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

"टिप्पणी :—प्रधान नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 30 जून, 1984 के सा. का. नि. 642 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।"

[फा. सं. 4/13/95—एन. ई. —II]
डी. एस. पूनिया, निदेशक (एन. ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th June, 1997

G.S.R. 257.—In the English|Hindi version of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 516 dated the 17th September, 1996, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, dated, the 5th October, 1996 regarding the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1983 :—

(i) in the opening paragraph "Group 'A. posts Recruitment Rules, 1984," may be read as "(Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1983";

(ii) "Group 'A'" appearing in line 2 of rule 1 (1) may be read as "Group 'A' posts)"

(iii) "Group 'A' Recruitment Rules, 1984" appearing in line 2 of rule 2 may be read as "(Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1983";

(iv) in the Schedule "Extension Officer (Seismology)" may be read as "3. Extension Officer (Seismology" ;

(v) after serial number 3 relating to the post of Extension Officer (Seismology) and the entries relating thereto, read :—

"Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 642, dated, the 30th June, 1984".

[F. No. 4|13|95-NE-II]
D. S. POONIA, Director (NE)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 जून, 1997

सा. का. नि. 258 :—पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग (वर्ग "ग" और वर्ग "घ" पद) भर्ती नियम, 1983 के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 21-9-1996 को प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 4-9-1996 के सा. का. नि. 391 की अधिसूचना के अंग्रेजी/हिन्दी पाठ में:

क्रम संख्या 9 के बाद जो दफ्तरी के पद और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बारे में है, इस प्रकार पढ़ा जाए :

"नोट :—मुख्य नियम, दिनांक 26-11-1983 के सा. का. नि. 962 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।"

[फा. सं. 4/11/96—एन. ई.-II]
डी. एस. पूनिया, निदेशक (एन. ई.)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th June, 1997

G.S.R. 258.—In the English|Hindi version of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 391 dated the 4-9-1996, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, dated 21-9-1996 regarding the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983 :—

after serial number 9 relating to the post of Daftry and the entries thereto read :

"Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 962 dated the 26th November, 1983."

[F. No. 4|11|96-NEII]
D. S. POONIA, Director (NE)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 1997

सा.का.नि. 259.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती संशोधन नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायगी अर्थात् :—

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) तारीख 8-4-89 में सा.का.नि.सं. 246 के अधीन प्रकाशित किये गये थे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार)	एक* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3700-125 4700-150 5000 रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक अपेक्षित और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (2) जिन्होंने 3000–4500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 2200–4000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में के पद पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री या समतुल्य। (1) आठ वर्षों का अध्ययन/अनुसंधान का अनुभव जिसमें परीक्षा सुधार/प्रश्न बैंकों का विकास/परीक्षा से संबंधित कार्य का अनुभव सम्मिलित है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अल्पकालिक संविदा भी है), द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सं. 24012/1/93-स्था. (ख)

श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक (जे सी ए)

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 2nd June, 1997

G.S.R. 259.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Staff Selection Commission, Joint Director (Examination Reforms) Recruitment Rules 1989, namely:—

(1) These rules may be called the Staff Selection Commission, Joint Director (Examination Reforms) Recruitment Amendment, Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the schedule to the Staff Selection Commission, Joint Director (Examination Reforms) Recruitment Rules, 1989, the following schedule shall be substituted, namely:—

Note : Principal Rules were published vide notification G.S.R. No. 246 Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 8-4-1989.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director (Examination Reforms)	One* (1997)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000	Not applicable

*Subject to variation dependent on work-load

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Transfer on Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion /deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Transfer on Deputation (including short-term contract)	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission if necessary

12

Officers under the Central/State Governments Union Territories/Universities/Recognised Research Institutons/ Autonomous Organisations :	
(a)(i) Holding analogous posts on regular basis on;	
(ii) With five years regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; or	
(iii) Ten Years' regular service in a post in the scale of Rs. 2200-4000, or equivalent; and	
(b) Possessing the following educational qualifications and experience;	
(i) Masters Degree from a recognised University or equivalent.	
(ii) Eight years teaching/research experience including experience in the examination reforms/development of question banks/examination related work.	
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment/in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	

[No. 34012/1/93-Estt. (B)]
SMT. BHAVANI THYAGRAJAN, Director (JCA)

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1997

सा.का.नि. 260.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेखा अधिकारी (खादी और ग्राम उद्योग, वाणिज्य मंत्रालय,), भर्ती नियम, 1968 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) निरर्हता : वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(6) व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
लेखा अधिकारी	*1 (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	2375-75-3200 द.रो.-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) 1. जो नियमित आधार पर सादृश पद धारण किए हुए हैं; या 2. जिन्होंने 1640-2900 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता हो; 1. केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित एस. एस. या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य सफलतापूर्वक पूरा किया है; और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक है, जब स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अधिकारी, अन्य अधिकारियों के साथ विचार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है :

(सं. ए-12018/1/94-ई 1
एस. गणपति, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 12th June, 1997

G.S.R. 260.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Accounts Officer Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Accounts Officer Group 'B' post Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualificaions and other matters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Accounts Officer	1* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500.

Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7.	8
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and essential qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment—or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable.	Nil	Promotion /transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its compositions?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments
12	13	14
Promotion/transfer on deputation : I. Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis. or (ii) with five years' regular service in post in the pay scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and (b) Possessing any one of the following qualifications— (i) a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised accounts Departments of the Central Government; (2) Succesful completion of training in the cash and accounts work from Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and two years experience in cash, accounts and budget work. II. The Departmental Senior Accountants with five years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note.—The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on depntation shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of appliction).	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[No.A-12018/1/96-B.I.
N. GANPATHI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1997

सा.का.नि. 261—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, पशु पालन विभाग के यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, हैस्सरघट्टा, बंगलौर में विभिन्न ग्रुप "घ" पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(1) ये नियम यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र (ग्रुप "घ") भर्ती नियम, 1995 कहलाएंगे।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पद की संख्या-चौकीदार (वाचमैन)–2, चपरासी–1 तथा सफाई वाला–1 है परन्तु कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वह होगा जो आर.एस.एफ.पी. एंड डी. (ग्रुप "ग" तथा "घ") भर्ती नियम-1995 के उपाबद्ध अनुसूची के कालम–3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट हैं। जहां तक इन पदों का संबंध है, ये दिनांक 10–4–1995 के सं. 37–2/94–एल. 11/ए-3 के अन्तर्गत अधिसूचित किये गये हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो दिनांक 10-4-96 की अधिसूचना सं. 37–2/94–एल.डी. II/ए. III के अन्तर्गत प्रकाशित आर.एस.पी. एंड डी. भर्ती नियम के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना क्या है।

1. अधीक्षक, आर.एस.पी.पी.टी.सी.—अध्यक्ष

2. सहायक निदेशक, सी.पी.बी.एफ.—सदस्य

3. बाहरी कार्यालय से एक राजपत्रित—सदस्य अधिकारी (अनुसूचित जाति)

निर्हतायें :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय यह है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

[सं. 31–7/95–प्रशासन–III]

एच.के. जगोता, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry & Dairying)

New Delhi, the 15th May, 1997

G.S.R. 261.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various Group 'D' posts in the Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Hessarghatta, Bangalore in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry & Dairying, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Randon Sample Poultry Performance Testing Centre (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post is Chowkidar (Watchman)—2 (two) Peon—1 one and Safaiwala-1 (one) but subject to variation depending upon the work load, their classification and scale of pay attached therewith shall be as specified in the columns 3 & 4 of the Schedule annexed to the RSFP&D (Group 'C' & 'D' posts) Recruitment Rules, 1995 so far as these posts are concerned notified vide No. 37-2|94-ID.II|A.III dated 10-4-1996.

3. (1) Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment

to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule attached to the RSFP&D, Recruitment Rules, 1995 published vide Notification No. 37-2|94-L.D.II A.III dated 10-4-1996.

(2) If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:—

1. Superintendent, RSPPTC—Chairman.
2. The Asstt. Director, CPBF—Member.
3. A Gazetted Officer (SC) from outside office—Member.

Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[No. 31-7|95-Admn. III]
H. K. JAGOTA, Under Secy.

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 1997

सा.का.नि. 262:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समाकलित मात्स्यिकी परियोजना (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मत्स्य परियोजना समूह 'ग' भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समाकलित मात्स्यिकी परियोजना (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1973 में

(i) "(वर्ग 3)" कोष्ठक, शब्द और अंक के स्थान पर (समूह 'ग') कोष्ठक, शब्द और अक्षर रखे जायेंगे,

(ii) अनुसूची में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने स्तम्भ 2 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"5(1997)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।"

(iii) अनुसूची में, कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमसंख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
16—के आशुलिपिक श्रेणी–II	1* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300 द.रो.-60-2600 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति ऐसा कनिष्ठ आशुलिपिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक, एकीकृत मत्स्य परियोजना, जो नियुक्ति प्राधिकारी है —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रयोगात्मक मात्स्यिकी), एकीकृत मत्स्य परियोजना, कोची —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मीन उद्योग नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोची —सदस्य 4 लेखा अधिकारी, एकीकृत मत्स्य परियोजना, कोची —सदस्य 5. एकीकृत मत्स्य परियोजना, कोची का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह 'क' हैसियत का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 5-11/96-एफ वाई (प्रशासन)]
के. पी. मल्होत्रा, अवर सचिव

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 5th June, 1997

G.S.R. 262.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment Rules, 1973 namely :—

1. (1) These rules may be called the Integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment Rules, 1973,—

(i) for the brackets, word and figure "(Class III)", the brackets, word and letter "(Group 'C')" shall be substituted;

(ii) in the Schedule against serial number 16 relating to the post of Junior Stenographer, in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"5 (1997)*

*Subject to variation dependent on workload.";

(iii) in the Schedule, after serial number 16 relating to the post of Junior Stenographer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"16-A Stenographer Grade-II	1* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Non-selection	Not applicable.	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct Reecruitment or by promotion or by Deputation/Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/ Deputation/Transfer to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion	Promotion : Junior Stenographer with five years' regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Director, Integrated Fisheries Project, who is the appointing authority -- Chairman. 2. Deputy Director (Experimental Fishing), Integrated Fisheries Project, Kochi—Member. 3. Senior Administrative Officer Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi—Member. 4. Accounts Officer, Integrated Fisheries Project, Kochi—Member. 5. A Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer of Group 'A', status of Integrated Fisheries Project, Kochi—Member.	Not applicable."

[No. F.5-11/96-Fy. (Admn.)].
K. P. MALHOTRA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 446 dated 28-4-1973.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st May, 1997

G.S.R. 263.—Reference this Ministry's Notification No. A-12018/2/91RR/ME(UG) Desk dated 21-2-97. In Column No. 8 of the Schedule to the notification cited above, the words, "with Bio-Chemistry" have been inadvertantly left out (in the English version only). The words, "with Bio-Chemistry" may be added between the words, "in Chemistry" and "as a special subject", appearing under Column No. 8 of the Schedule under item (i) of Essential Qualification.

[F. No. A. 12018/2/91-RR/ME(UG) Desk]
R. RAMAMURTHY, Desk Officer.

शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1997

सा. का. नि. 264.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, वर्ग 2 भर्ती नियम, 1954 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण में पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह ख सेवा भर्ती नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

7. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से प्राप्त अनुसूची के स्तम्भ 2 के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

8. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हता आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बात वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है ।

9. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक इंजीनियर (सिविल)	1768 (1997) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण सिविल सेवा, समूह ख, राजपत्रित अननुसचवीय	2000-60-2300-ब.रो.-75-3200-100-3500रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/हस्तान्तरण किया जायेगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : (1) पचास प्रतिशत, ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (2) पचास प्रतिशत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जो ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के लिये खुला हो और जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिये) 1. अपर महानिदेशक, संकर्म, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—अध्यक्ष 2. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य 4. प्रशासन का निदेशक, संकर्म महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[सं. 30/2/93 ई सी-I/ई डब्ल्यू-I]
एस. के. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Central Public Works Department)

New Delhi, the 18th June, 1997

G.S.R. 264.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Engineering Service, Class II Recruitment Rules, 1954, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Ministry of Urban Affairs and Employment, Central Public Works Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Affairs and Employment and Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—

The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications etc .—

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—no person—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in

writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEUDLE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Engineers (Civil)	1768* (1997) *Subject to variation dependent on work.	General Civil Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age & edu. qual. prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion	Promotion : (i) Fifty per cent from Junior Engineers (Civil) with eight years regular service in the grade and (ii) Fifty per cent by limited departmental competitive examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognised by the Central Government or State Government open to to Junior Engineer (Civil) with four years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) : 1. Additional Director General of Works, Central Public Works Department—Chairman. 2. Chief Engineer, Central Public Works Department—Member. 3. Director/Deputy Secretary Ministry of Urban Affairs and Employment—Member. 4. Director of Administration, Directorate General of Works, Central Public Works Department—Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No.30/2/93-EC. I/EW. I]
S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 1997

सा.का.नि. 265.—केन्द्रीय सरकार, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रति षेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46) की धारा 22 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) (केन्द्रीय) अधिनियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46),

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति,

(ग) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है समिति का सदस्य और इसमें अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सम्मिलित है,

(घ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

3. परियोजना समिति की संरचना :—

परियोजना समिति का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) सलाहकार, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी संगठन, शहरी विकास विभाग।	अध्यक्ष
(2) शहरी कार्य और नियोजन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) का भारत सरकार के उपसचिव से अनिम्न पंक्ति का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
(3) कल्याण मंत्रालय का भारत सरकार के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न कोई एक अधिकारी जो उस मंत्रालय में सरकार के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(4) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर का उप निदेशक की पंक्ति से निम्न एक अधिकारी जिसे संस्थान के निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(5) हुडको का कार्यपालक निदेशक/प्रमुख (परियोजना) से पंक्ति में अनिम्न कोई अधिकारी जिसे हुडको के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(6) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी संगठन, शहरी विकास विभाग में कम लागत सफाई का प्रभारी उपसलाहकार।	सदस्य सचिव

4. मानीटरन समिति की संरचना:—

मानीटरन समिति का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किया जाएगा ओर इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(i) सलाहकार केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी संगठन शहरी विकास विभाग।	अध्यक्ष
(ii) शहरी कार्य और नियोजन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) का भारत सरकार के उपसचिव से अनिम्न पंक्ति का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
(iii) कल्याण मंत्रालय का भारत सरकार के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न कोई एक अधिकारी जो उस मंत्रालय में सरकार के सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(iv) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान नागपुर का उपनिदेशक की पंक्ति से अनिम्न एक अधिकारी जिसे संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(v) हुडको का कार्यपालक निदेशक प्रमुख (परियोजना) से पंक्ति में अनिम्न कोई अधिकारी जिसे हुडको के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(vi) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी संगठन शहरी विकास विभाग में कम लागत सफाई का प्रभारी उपसलाहकार।	सदस्य सचिव

5. परियोजना समिति के कृत्य और शक्तियां :—

परियोजना समिति :

(क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाई गई स्कीमों का ऐसी स्कीमों की आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने की दृष्टि से तकनीकी निर्धारण करेगी और स्थलाकृति, निवासियों की प्रथाओं, सामग्री की उपलभ्यता तथा अन्य संबंधित पक्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपान्तरणों की सिफारिश करेगी जिनके परिणामस्वरूप लागत में कटौती हो और उसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र का विस्तार;

(ख) अपने द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकारी के शहरी विकास विभाग के समक्ष प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेगी इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 1997 से आरम्भ होगी।

6. मानीटरन समिति के कृत्य और शक्तियां :—

मानीटरन समिति —

(क) शुष्क शौचालयों में जलशील शौचालयों संपरिवर्तन के लिए स्कीमों की प्रगति का सावधिक पुर्नरीक्षण करेगी ओर एक प्रास्थिति रिर्पोट तैयार करेगी जिसमें वे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उपदर्शित होंगे जहां अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयास आवश्यक है।

(ख) अपने द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के शहरी विकास विभाग के समक्ष प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेगी इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 1997 से आरम्भ होगी।

7. सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें :—

(1) समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न किसी सदस्य की नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(2) समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न किसी सदस्य को समिति में इस शर्त के अधीन रहते हुए पुन:नियुक्त किया जा सकता है कि किसी भी समय पर उसकी नियुक्ति की अवधि कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और समिति के कार्य के संधि में किए जाने वाले दौरों के लिए समिति के सदस्यों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उन नियमों द्वारा विनियमित होगा जो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे उनके मूल कार्यालय में उन्हें लागू थे तथा ऐसे व्यय उस मूल कार्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

8. समिति के अधिवेशन :—

(1) समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए जितने आवश्यक हो उनके अधिवेशन करेगी।

परन्तु ऐसे दो अनुक्रमिक अधिवेशनों के बीच 3 मास से अधिक अवधि व्यापगत नहीं होंगी।

(2) समिति के अधिवेशन साधारणत: दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे।

(3) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी स्कीमों का पुनरीक्षण समिति द्वारा किया जाना है, को अधिवेशन में उपस्थिति होने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(4) संबंधित समिति का अध्यक्ष सभी अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए अपने में से किसी एक को निर्वाचित करेंगे।

9. अधिवेशनों की सूचना और कारबार की सूची :—

(1) समिति का सदस्य सचिव विषय सूची के निम्न मद तैयार करेगा मद बनाएगा और विषय-सूची की ऐसी मदों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पण समिति के सदस्यों में अधिवेशन की अनुसूचित तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व परिचालित करेगा।

(2) सूचना में अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय कथित किया जाएगा और वहां संव्यवहार किए जाने के लिए प्रस्थापित कारबार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) ऐसे किसी कारबार पर जो विषय-सूची में नहीं है यथास्थिति अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अन्य पीठासीन सदस्य की अनुज्ञा के बिना अधिवेशन में विचार नहीं किया जाएगा।

10. गणपूर्ति :—

(1) समिति के प्रत्येक अधिवेशन में गणपूर्ति उसके एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(2) यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थिति नहीं है तो यथास्थिति अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् उसी दिन या पश्चातवर्ती दिन अथवा जैसा वह उचित समझे किसी और दिन अधिवेशन को किसी नियत समय के लिए स्थगित करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना उपस्थिति सदस्यों को दी जाएगी और समिति के सूचना पट्ट पर भी चिपकाई जाएगी तथा जो कारबार मूल अधिवेशन के समक्ष, यदि गणपूर्ति होती, तो लाया जाता, स्थगित अधिवेशन के समक्ष लाया जाएगा और गणपूर्ति पर विचार किए बिना उसका निपटान किया जाएगा।

11. अधिवेशनों के कार्यवृत्त :—

समिति के प्रत्येक अधिवेशन के तुरन्त पश्चात्, सदस्य सचिव अधिवेशन के कार्यवृत्त लिखेगा और यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य पीठासीन सदस्य के समक्ष आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त समिति के सदस्यों में उनकी टिप्पणियां यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए परिचालित किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिचालित कार्यवृत्त, समिति के समक्ष पुष्टि के लिए रखे जाएंगे और वे ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, जो समिति उनमें करना उचित समझे के अधीन होंगे। और इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें इस प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

[सं. क्यू. 11021/21/91-पी एच ई]

बी. एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव

(Department of Urban Development)

New Delhi, the 6th June, 1997

G.S.R. 265.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (46 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition (Central) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (46 of 1993);

(b) "Committee" means a committee constituted under sub-section (1) of section 13;

(c) "Member" means a member of the Committee and includes its Chairperson and the Member-Secretary;

(d) "Section" means a section of the Act.

3. Composition of the Project Committee :—

The Project Committee which may be constituted by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall consist of the following persons, namely:—

(i)	Adviser, Central Public Health Environmental Engineering Organisation, Department of Urban Development.	Chairperson
(ii)	A representative of the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) not below the rank of a Deputy Secretary to the Govt. of India.	Member
(iii)	An officer of the Ministry of Welfare not below the rank of a Deputy Secretary to the Govt. of India to be nominated by the Secretary to the Government in that Ministry.	Member
(iv)	An Officer of the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur not below the rank of a Deputy Director, to be nominated by the Director of that Institute.	Member
(v)	An officer of the HUDCO not lower in rank than an Executive Director/Chief (Projects) to be nominated by the Chairman and Managing Director of HUDCO.	Member
(vi)	Deputy Adviser in-charge of Low Cost Sanitation in the Central Public Health Environmental Engineering Organisation, Department of Urban Development.	Member-Secretary

4. Compostion of the Monitoring Committee :—

The Monitoring Committee which may be constituted by the Central Government under clause (b) of sub-section (1) of section 13 shall consist of the following persons, namely —

(i)	Adviser, Central Public Health Environmental Engineering Organisation, Department of Urban Development.	Chairperson
(ii)	A representative of the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development), not below the rank of a Deputy Secretary to the Govt. of India.	Member
(iii)	An officer of the Ministry of Welfare not below the rank of a Deputy Secretary to the Govt. of India to be nominated by the Secretary to the Government in that Ministry.	Member
(iv)	An officer of the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur not below the rank of a Deputy Director, to be nominated by the Director of that Institute.	Member
(v)	An officer of the HUDCO not lower in rank than an Executive Director/Chief (Projects) to be nominated by the Chairman and Managing Director of HUDCO.	Member
(vi)	Deputy Adviser in-charge of Low Cost Sanitation in the Central Public Health Environmental Engineering Organisation, Department of Urban Development.	Member-Secretary

5. Functions and powers of the Project Committee:—

The Project Committee shall —

(a) conduct technical assessment of the schemes formulated by the State Governments and Union Territory Administrations with a view to assessing the economic viability of such schemes and recommend such modifications as would result in cost reduction and greater coverage, taking into account the topography, customs of the inhabitants, availability of materials and other related aspects;

(b) submit the report prepared by it to the Central Government in the Department of Urban Development by the 30th June and the 31st December every year, the first report starting from 1997.

6. Functions and powers of the Monitoring Committee :—

The Monitoring Committee shall —

(a) review periodically the progress of schemes for conversion of dry latrines into water seal latrines and prepare a status report indicating the States and Union Territories where special efforts are needed to implement the Act.

(b) submit the report prepared by it to the Central Government in the Department of Urban Development by the 30th June and the 31st December every year, the first report starting from 1997.

7. Terms and conditions of appointment of members :—

(1) The term of appointment of a member of a committee other than its Chairperson and the Member-Secretary, shall be for a period of three years.

(2) A Member, other the Chairperson and the Member-Secretary of a Committee may be reappointed to the Committee subject to condition that the aggregate of his term of appointment at no time shall exceed six years.

(3) The travelling allowance and daily allowance of the members for attending the meetings of a committee and for tours in connection with the work of the Committee shall be regulated by the rules as applicable to them in their parent office represented by them and such expenses shall be borne by such parent office.

8. Meetings of a Committee :—

(1) A committee shall meet as often as may be necessary to transact its business :

Provided that not more than three months shall elapse between two successive meetings.

(2) The meetings of the Committee shall ordinarily be held in Delhi.

(3) The representative of the States and Union Territories whose schemes are to be reviewed by the Committee shall be invited to attend and participate in the meeting.

(4) The Chairperson of the concerned committee shall preside at all meetings. In the absence of the Chairperson, the members present shall elect one amongst them to preside at the meeting.

9. Notice of meetings and list of business:—

(1) The Member-Secretary of the Committee shall draw up and circulate to the Members of the Committee the agenda items and brief notes on such agenda items at least ten days before the scheduled date of the meeting.

(2) The notice shall state the place, date and time of the meeting and specify the business proposed to be transacted thereat.

(3) No business which is not on the agenda shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson or in his absence the other presiding member, as the case may be.

10. Quorum:-

(1) At every meeting of a Committee, one-third of its members shall form a quorum.

(2) If at any meeting a quorum is not present, the Chairperson or the presiding member, as the case may be, shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting for such hour on the same day or the following day or some other day as he may think fit and the notice of such adjournment shall be given to the members present as well as affixed on the Notice Board of the committee and the business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum, shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

11. Minutes of the meetings:-

(1) Immediately after each meeting of a committee, the Member-Secretary shall draw up the minutes of the meeting and submit the same to the Chairperson or the other presiding member as the case may be, for his approval for taking further necessary action. The minutes so approved shall be circulated to the members of the committee for inviting comments, if any.

(2) The minutes circulated under sub-rule (1) shall be placed before the committee for confirmation and shall be subject to such modification, if any, as the committee may deem fit to be made therein, and the minutes so approved shall be signed by the Chairperson or in his absence, the presiding member, as the case may be and be entered in a book to be kept for that purpose.

[No. Q-11021/21/91-PHE]

B. S. MINHAS, Jt. Secy.

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1997

सा.का.नि. 266.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, वर्ग 2 भर्ती नियम, 1954 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (विद्युत) के पद पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह ख सेवा भर्ती नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से प्राप्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक इंजीनियर (विद्युत)	1768* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण विद्युत सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	2200-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति (i) पचास प्रतिशत, ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ii) पचास प्रतिशत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जो ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) के लिए खुला हो और जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. अपर महानिदेशक, संकर्म, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध्यक्ष 2. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय —सदस्य 4. प्रशासन का निदेशक, संकर्म महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. 30-2-93/ई सी-I/ई डब्ल्यू आई]
एस. के. भटनागर, अवर सचिव

(Central Public Works Department)

New Delhi, the 18th June, 1997

G.S.R. 266.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Electrical Engineering Service, Class II Recruitment Rules, 1954, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical) in the Ministry of Urban Affairs and Employment, Central Public Works Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Affairs and Employment, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—
The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. He had of recruitment, age limit and educational qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-sericeman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Goernment from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection post
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)
Assistant Engineers (Elect).	682 (1997) Subject to variation dependent on workload.	General Electrical Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any
(6.)	(7.)	(8.)	(9.)	(10.)
Not applicable	Not applicable	t applicable	Not applicable	Two year

Method of recruitment whether by direct recr itment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11.	12.	13.	14.
Promotion.	Promotion : (i) Fifty per cent from Junior Engineers (Elect.) with eight years regular service in the grade. (ii) Fifty per cent by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognised by the Central Government or a State Govt. open to Junior Engineers (Elect.) with four years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) : 1. Additional Director General of Works, Central Public Works Department—Chairman. 2. Chief Engineer, Central Public Works Department—Member. 3. Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member. 4. Director of Administration Directorate General of Works, Central Public Works Department—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 30-2-93/EC. I/EW-I]
S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जून, 1997

सा. का. नि. 267 :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण" से कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 7घ के अधीन गठित किया गया है।

3. वेतन :—पीठासीन अधिकारी 7300—7600/— रु. प्रति मास के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु ऐसी दशा में जब किसी ऐसे व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हैसियत से सेवा निवृत्त हुआ हो और जो पेंशन और/या उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में कर्मकार के अंशदान के रूप में कोई सेवानिवृत्ति लाभ या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या उसने प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार है तो उसके वेतन से सेवा उपदान के बराबर या अंशदायी भविष्य निधि में कर्मकार के अंशदान के बराबर या किसी अन्य रूप में दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ के बराबर, यदि कोई हो, पेंशन की निबल राशि से काट लिया जाएगा किन्तु इसमें उसके द्वारा आहरित अथवा आहरित किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन की कटौती नहीं होगी।

4. महंगाई भत्ता :—पीठासीन अधिकारी अपने वेतन के अनुरूप और 7300—7600 रु. के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के वर्ग के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा।

5. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता :—पीठासीन अधिकारी अपने वेतन के अनुरूप और 7300—7600 रु के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के वर्ग "क" अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करेगा।

6. छुट्टी :—अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति होने पर कोई व्यक्ति नीचे बताई गई छुट्टी का हकदार होगा :

(i) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कलैण्डर वर्ष के लिए पन्द्रह दिनों की दर से अर्जित छुट्टी;

(ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र अथवा निजी मामलों के संबंध में सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए बीस दिन के हिसाब से अर्धवेतन अवकाश और अर्धवेतन अवकाश के लिए अवकाश वेतन अर्जित अवकाश के दौरान अनुज्ञेय अवकाश वेतन का आधा होगा ;

(iii) अर्धवेतन अवकाश को पीठासीन अधिकारी के विवेकाधिकार पर पूर्ण वेतन अवकाश के लिए संराशीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि यह चिकित्सा आधार पर लिया गया हो और इसके साथ सक्षम चिकित्सक प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न हो ;

(iv) एक कार्यकाल में 180 दिन की अधिकतम अवधि तक बिना वेतन के असाधारण और भत्ते ।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी, अधिकरण में अपने कार्य के कारण पूरी छुट्टी नहीं ले पाता है तो वह न ली गयी छुट्टियों की अवधि की छुट्टी खाते में जोड़े जाने का पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ "छुट्टी" से अधिकरण द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में मनायी गयी 30 दिन की छुट्टियां अभिप्रेत हैं ।

(3) अधिकरण में कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, पीठासीन अधिकारी अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में इस शर्त के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि प्राप्त करने का पात्र होगा कि इस उप-नियम के अंतर्गत भुगतान की गयी अथवा पिछली सेवा से सेवानिवृत्ति के समय, जैसा भी मामला हो, अथवा दोनों को मिलाकर अधिकतम छुट्टियां किसी भी मामले में 240 दिन से अधिक नहीं होंगी ।

(4) पीठासीन अधिकारी, अधिकरण में कार्यभार छोड़ने की तारीख को प्रभावी दरों पर उप-नियम (2) के अंतर्गत अवकाश वेतन पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा :

परन्तु कि वह ऐसे अवकाश पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अथवा किसी अन्य भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा ।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी :—केन्द्रीय सरकार पीठासीन अधिकारी के लिए छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी ।

8. पेंशन :—(1) अधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पीठासीन अधिकारी मुख्य नियोजक के नियमों अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र होगा ।

9. भविष्य निधि :—पीठासीन अधिकारी सामान्य भविष्य निधि में स्वेच्छा से अंशदानकरने का पात्र होगा और यदि वह इस प्रकार का विकल्प देता है तो उसे केन्द्रीय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम के उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा ।

परन्तु कि यदि पीठासीन अधिकारी किसी अन्य भविष्य निधि का पहले ही एक सदस्य है तो उसे अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने से तत्काल पूर्व उस पर लागू नियमों के द्वारा शासित किया जाएगा ।

10. यात्रा भत्ता :—पीठासीन अधिकारी स्थानांतरण पर दौरे के दौरान (जिसमें अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा अथवा अधिकरण में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर अपने गृह नगर को जाना शामिल है) केन्द्रीय सरकार में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू नियमों में यथानिर्धारित समान मापदण्डों तथा समान दरों पर अन्य समान मामलों में समान यात्रा, दैनिक भत्ता और वैयक्तिक आवागमन भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा ।

11. छुट्टी यात्रा रियायत :—पीठासीन अधिकारी, 7300—7600 रु. के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के ग्रुप "क" के अधिकारियों के लिए उपलब्ध समान दरों और समान वेतनमानों तथा यथा लागू समान शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा ।

12. आवास :—(1) पीठासीन अधिकारी, 7300—7600 रु. के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित सामान्य शर्तों पर रिहायशी आवास का पात्र होगा ।

(2) जब किसी पीठासीन अधिकारी को उप-नियम (1) में वर्णित आवास मुहैया नहीं करवाया जाता है अथवा वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तब उसे 7300—7600 रु. के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए अनुमेय पर प्रतिमाह भत्ता अदा किया जा सकता है ।

(3) जहां कोई पीठासीन अधिकारी अनुमेय अवधि के बाद भी सरकारी मकान में रहता है वहां वह अतिरिक्त लाइसेन्स शुल्क अथवा दण्डस्वरूप किराये, जैसा भी मामला हो, और 7300—7600 रु. के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

13. चिकित्सा उपचार संबंधी सुविधाएं :—पीठासीन अधिकारी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा नियम, 1954 में किए गए प्रावधान के अनुसार चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाओं के लिए पात्र होगा और जिन स्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना प्रचलन में नहीं है वहां पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सेवा चिकित्सा देख-रेख नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुविधाओं के लिए पात्र होगा ।

14. पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों की सेवा शर्तें :—इन नियमों में विहित किसी शर्त के बावजूद जहां उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है वहां उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (28/994) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम उस पर लागू होंगे ।

15. अवशिष्ट प्रावधान :—पीठासीन अधिकारी की सेवा शर्तों को, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, 7300-7600 रु. के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के लिए लागू (समय पर्यन्त) नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

16. अधिकरण के कर्मचारी :—अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों तथा उनसे संबंधित संबंद्ध वेतनमान को इन नियमों से संबंद्ध अनुसूची में दिए गए अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

17. सेवा शर्तें :—वेतन, भत्तों, अवकाश, भविष्य निधि, अधिवार्षिता आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य सेवा शर्तों के मामलों में अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केन्द्रीय सरकार में तत्वनुरूप पदों से संबंधित ग्रुप "ए" ग्रुप "बी" ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस समय पर लागू किए जाने वाले ऐसे नियमों तथा विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

18. छूट प्रदान करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार के पास व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के संबंध में इनमें से किन्हीं नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान किए जाने की शक्ति होगी ।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	रजिस्ट्रार	एक	3000-4500 रु.
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (पीठासीन अधिकारी के लिए)	एक	2000-3200 रु.
3.	आशुलिपिक श्रेणी "घ" (रजिस्ट्रार के लिए)	एक	1200-2040 रु
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	एक	1200-2040 रु.
5.	अवर श्रेणी लिपिक	एक	950-1500 रु.
6.	ड्राइवर	एक	950-1500 रु.
7.	दफ्तरी	एक	775-1150 रु.
8.	चपरासी	एक	750-940 रु.

[फा. संख्या एस-35013/4/96-एस एस. II]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd June, 1997

G.S.R. 267.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules, namely,—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Employees Provident Funds Appellate Tribunal (conditions of service) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) ;

(b) "Tribunal" means the Employees Provident Funds Appellate Tribunal constituted under section 70 of the Act.

3. Pay.—The Presiding Officer shall receive pay in the scale of (Rs. 7300-7600) per mensem :

Provided that in the case of a appointment as a Presiding Officer of a person who has retired as a judge of a High Court and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness Allowance.—The Presiding Officer shall receive dearness allowance appropriate to his pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

5. City Compensatory Allowance.—The Presiding Officer shall receive City Compensatory Allonwance appropriate to his pay at the rates admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

6. Leave.—(1) A person, on appointment in the Tribunal as a Presiding Officer shall be entitled to leave as follows :—

(i) Earned Leave at the rate of fifteen days for every completed calendar years of service ;

(ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave ;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay lave at the discretion of the Presiding Officer, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority ;

(iv) Extraordinary leave without pay and allowances up to a maximum period of 180 days in one term of Office.

(2) If the Presiding Officer is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, "Vacation" means vacation of 30 days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of the term of his office in the Tribunal, the Presiding Officer shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit subject to the conditions that the maximum of leave encashed under his sub-rule or at the time of retirement from previous service, as the case may be, or taken together shall not in any case exceed 240 days.

(4) The Presiding Officer shall be entitled to receive the dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rates in force on the date of the relinquishment of the Office in the Tribunal :

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave.

7. Leave sanctioning authority.—That Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Presiding Officer.

8. Pension.—(1) The Presiding Officers on deputation with the Tribunal shall be entitled to pension under rules of the parent employer.

9. Provident Fund.—The Presiding Officer shall be entitled to subscribed to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the Central Provident Fund (Central Services) Rules :

Provided that if the Presiding Officer is already a member of any other Provident Fund he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

10. Travelling Allowance.—The Presiding Officer while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his hometown) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and the same rates as are prescribed in the rule applicable to officers holding equivalent post in the Central Government.

11. Leave Travel Concession.—The Presiding Officer shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to a Group 'A' Officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

12. Accommodation.—(1) The Presiding Officer shall be entitled to residential accommodation on the terms and conditions as are made available to officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

(2) When a Presiding Officer is not provided with or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rule (1) he may be paid every month an allowance at the rate admissible to officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

(3) Where the Presiding Officer occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be and liable to eviction in accordance with the rules applicable to officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

13. Facilities for Medical treatment.—The Presiding Officer shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the Presiding Officer shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules.

14. Conditions of service of sitting Judges of the High Court appointed as Presiding Officers.—Not-

withstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Presiding Officer of the Tribunal the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 28 of 1954 and the rules made thereunder shall apply to him.

15. Residuary Provision.—The conditions of service of the Presiding Officer for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of the Central Government drawing pay in the scale of Rs. 7300-7600.

16 Staff of the Tribunal.—The nature and categories of the officers and other employees of the Tribunal and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the Schedule appended to these rules.

17. Conditions of Service.—The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in the matters of pay, Allowance, Leave, Provident Fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group D as the case may be corresponding posts in the Central Government/Central Board.

18. Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

S.No.	Name of the post	No. of Post	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	Registrar	One	Rs. 3000—4500
2.	Sr. PA (for Presiding Officer)	One	Rs. 2000—3200
3.	Steno, Gr. D (for Registar)	One	Rs. 1200—2040
4.	UDC	One	Rs. 1200—2040
5.	LDC	One	Rs. 950—1500
6.	Driver	One	Rs. 950—1500
7.	Daftry	One	Rs. 775—1150
8.	Peon	One	Rs. 750—940

[File No. S-35013/4/96-SS. II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जून, 1997

सा.का.नि. 268.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) ये नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा संक्षिप्त न हो,

(क) "अधिनियम" से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) अभिप्रेत है,

(ख) "एजेन्ट" का तात्पर्य अधिकरण के समक्ष, एक अपील अथवा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिये एक पार्टी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत एक व्यक्ति है;

(ग) "अपीलकर्ता" का तात्पर्य 7-1 के अन्तर्गत अधिकरण में अपील करने के लिये एक व्यक्ति अथवा प्रतिवादी है,

(घ) "फार्म" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित फार्म से है;

(ङ) "अभिवक्ता" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में निर्दिष्ट है,

(च) "कानूनी प्रतिनिधि" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कानून तौर पर मृतक की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है;

(छ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य अधिकरण के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार से है और ऐसा कोई अधिकारी शामिल है जिसे इन नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रदान किये जाते हैं;

(ज) "रजिस्ट्री" का तात्पर्य अधिकरण की रजिस्ट्री है;

(झ) "अधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 7 घ की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण से है;

(ञ) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और इन नियमों में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिगणित का अधिनियम में उनके लिये क्रमशः निर्दिष्ट उन्हीं अर्थों में होगा।

3. अधिकरण में की भाषा :—अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी :

बशर्ते पार्टियां अधिकरण के समक्ष कार्रवाई के लिये हिन्दी में तैयार दस्तावेज प्रस्तुत करें, यदि वे ऐसा चाहते हैं;

यह भी प्रावधान किया जाता : कि (क) अधिकरण अपने विवेकाधिकार अनुसार कार्रवाईयों में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकता है लेकिन फिर भी अन्तिम आदेश अंग्रेजी में होगा ;

(ख) मामले की सुनवाई करने वाला अधिकरण अपने विवेक से दायर किये जाने वाले अभिवचनों और दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिये निदेश दे सकता है।

4. अपील दायर करने के लिये प्रक्रिया :—

(1) अधिकरण की अपील, अपील करने वाले व्यक्ति अथवा एक एजेन्ट अथवा रजिस्ट्रार के पास विधिवत् प्राधिकृत कानूनी अभिवक्ता अथवा इसे प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा प्रपत्र 1 में प्रस्तुत की जायेगी अथवा संबंधित अधिकरण के रजिस्ट्रार को पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित भेजी जायगी।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत अपील प्रतिवादी के पूरे पते सहित एक अप्रयुक्त फाईल आकार के लिफाफे के साथ पेपर बुक रूप में तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी।

(3) जहां प्रतिवादियों की संख्या एक से अधिक हो वहां जितने प्रतिवादी है, पेपर-बुक रूप में अपील की उतनी अतिरिक्त प्रतियां प्रत्येक प्रतिवादी के पूरे पते के साथ अप्रयुक्त फाईल आकार के लिफाफे सहित अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

बशर्ते कि जहां प्रतिवादियों की संख्या 5 से अधिक हों, रजिस्ट्रार प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते समय अपील की अतिरिक्त प्रतियां फाईल करने के लिये अपीलकर्ता को अनुमति देगा।

(4) अपीलकर्ता अपनी अपील के साथ फार्म में प्राप्त रसीद नत्थी करके प्रस्तुत कर सकता है जिस पर अपील की प्राप्ति रसीद में रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार की ओर से अपील प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

5. अपील की प्रस्तुति और संवीक्षा :—

(1) रजिस्ट्रार अथवा नियम 4 के अन्तर्गत उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अपील की प्रत्येक तारीख को पृष्ठांकित करेगा जिस तारीख को उस नियम के अन्तर्गत यह प्रस्तुत किया जाता है अथवा प्रस्तुत किया गया माना जाता है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि संवीक्षा के समय अपील को सही पाया जाता है तो इसे विधिवत रजिस्टर्ड करके क्रमांक दिया जायेगा।

(3) यदि अपील संवीक्षा करने पर गलत पायी जाती है और पाया गया दोष औपचारिक प्रकृति का होता है, तो रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति में इसमें सुधार लाने के लिये पार्टी को अनुमति दे सकता है और उक्त दोष औपचारिक स्वरूप का नहीं है तो रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को दोष सुधारने के लिये जैसा उपयुक्त समझे समय की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अपीलकर्ता उप-नियम (3) के अन्तर्गत अनुमत समय के भीतर दोष सुधारने में असफल रहता है रजिस्ट्रार लिखित में निकाले गये आदेश और कारणों द्वारा अपील को पंजीकृत करने से मना कर सकता है और तदनुसार अपीलकर्ता को सूचित करेगा।

6. अपीलें दायर करने का स्थान :—अपील सामान्यतः अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास दायर की जायेगी जिसके क्षेत्राधिकार में :—

(1) अपीलकर्ता फिलहाल रह रहा है; अथवा

(2) कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो चुका है अथवा

(3) प्रतिवादी अथवा कोई भी प्रतिवादी जिसके लिये राहत मांगी जाती है सामान्य तौर पर रहता है।

7. फीस, अपील दायर करने का समय, अपील दायर करने पर देय राशि को जमा करना

(1) रजिस्ट्रार के पास दायर प्रत्येक अपील के साथ दो सौ रुपये की फीस जमा की जायेगी जिसे या तो अधिकरण के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी जो कि उस केन्द्र पर उस बैंक की मुख्य शाखा में देय होगा जहां उक्त अधिकरण स्थित या संबंधित अधिकरण के रजिस्ट्रार के पक्ष में आहरित रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा की जायेगी जो कि उस केन्द्र के डाकघर में देय होगा जहां उक्त अधिकरण स्थित है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति अधिसूचना/आदेश को जारी किये जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिकरण में याचिका दायर कर सकता है ;

बशर्ते कि अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपील दायर करने में रोका गया था, तो उक्त अवधि को अगले 60 दिनों के लिये विस्तारित कर सकता है।

परन्तु आगे यह कि नियोक्ता द्वारा की गई किसी अपील पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक की उसने अधिकरण के पास द्वारा-7क

के अधीन यथा निर्धारित उसके द्वारा देय राशि का 75% जमा न कर दिया हो;

परन्तु यह भी कि अधिकरण, लिखित रूप में अभिलेख किये जाने वाले कारणों से धारा 7-ण के अधीन जमा की जाने वाली राशि को माफ कर सकता है या उसे कम कर सकता है ;

8. अपील की विषय वस्तु :—1. कोई अपील जिसे नियम 4 के अधीन दायर किया गया हो, अलग-अलग शीर्षों के अन्तर्गत ऐसे अपील के आधारों को संक्षेप में लिखा जायेगा प्रत्येक अपील को, जिसमें कोई प्रकीर्ण अपील भी है, एक अच्छी किस्म के मोटे कागज पर एक ओर डबल स्पेशस में टंकित किया जायेगा ।

9. अपील के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज :— प्रत्येक अपील के साथ एक पेपर-बुक लगाई जायेगी जिसमें नीचे दी गई सामग्री होगी :—

(1) उस आदेश की एक अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है ;

(2) उन दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है और जिनका उल्लेख अपील में किया गया है ;

(3) दस्तावेजों की अनुक्रमणिका ।

(2) उप-नियम (1) के संदर्भित दस्तावेज किसी अभिवक्ता द्वारा या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जायेंगे और प्रत्येक दस्तावेज को अनुबंध क-1 क-2, क3, क2, आदि रूपों में चिन्हित किया जायेगा ।

(3) जहां कोई अपील किसी अभिकर्ता के माध्यम से दायर की गई है, वहां वह दस्तावेज भी अपील के साथ लगाया जायेगा जिसमें उक्त अभिकर्ता को इस तरह से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

परन्तु जहां अपील किसी अभिवक्ता के माध्यम से दायर की गई है वहां इसके साथ एक सम्यक्तः निष्पादित "वकालतनामा" लगाया जायेगा ।

10. अधिसंख्य उपचार :—कोई अपील एकल कार्य हेतुक के आधार पर दायर की जायेगी और उसमें एक या अधिक राहतों की मांग की जा सकती है बशर्ते कि वे एक परिणामस्वरूप दूसरी दूसरी के रूप हों ।

11. नोटिस तामील किया जाना और अधिकरण द्वारा जारी प्रक्रियाएं :—

(1) अधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले नोटिस या प्रक्रिया को अधिकरण के निर्देश पर निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक द्वारा तामील किया जा सकता है :—

(1) स्वयं पक्षकार द्वारा तामील किया जाना ;

(2) प्रक्रिया तामील करने वाले के माध्यम से दस्ती द्वारा ;

(3) पावती पत्र के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ;

(2) जहां अधिकरण द्वारा जारी नोटिस को स्वयं पक्षकार द्वारा दस्ती तामील किया जाता है, वहां वह अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास पावती को जमा करेगा और साथ में तामील का हलफनामा भी जमा करेगा ।

(3) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात के होते हुए अधिकरण प्रतिवादियों की संख्या उनके निवास या कार्य के स्थान और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट कर सकता है कि अपील का नोटिस प्रतिवादियों को किसी अन्य तरीके से तामील किया जायेगा जिसमें प्रतिस्थानी तामील की कोई रीति भी शामिल है, जैसा कि अधिकरण को न्यायोचित और सुविधाजनक प्रतीत हो ।

(4) उपनियम (1) के अधीन किये गये किसी कार्य के होते हुए भी, अधिकरण स्वविवेक से, मामले की प्रकृति और अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए, नोटिस को स्थायी सलाहकार को तामील करने के लिये निर्दिष्ट कर सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से नियुक्त किया गया हो।

(5) अधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोटिस के साथ, जब तक अन्यथा आदेशित न किया गया हो, अपील की एक प्रति और पेपर पुस्तिका की एक प्रति संलग्न की जायेगी ।

(6) प्रत्येक अपीलकर्ता तामीली या प्रक्रिया के निष्पादन के लिये, ऐसी रीति से, जैसे उपनियम (5) के अधीन अधिकरण निर्दिष्ट करे, और ऐसी राशि जो कि तामील को प्रभावी करने के लिये किये गये वास्तविक व्यय से अधिक न हो, जैसा अधिकरण द्वारा विहित की जाये, फीस अदा करेगा ।

(7) उपनियम (3) के अधीन तामीली या प्रक्रिया के निष्पादन के लिये फीस, फीस को विहित करने वाले आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जाये, नियम 7 में निर्धारित तरीके से जमा की जायेगी ।

(8) उप नियम (1) से (4) में अन्तर्विष्ट कोई बात के होते हुए भी यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील किया जाना व्यक्तितः व्यवहार्य नहीं है, तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित में अभिलेख किया जायेगा, निर्दिष्ट कर सकता है इस बात के होते हुए भी कि कुछ प्रतिवादियों को आवेदन का नोटिस तामील नहीं किया गया है, अपील की सुनवाई की जायेगी :

परन्तु किसी अपील की सुनवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि :—

(i) अपील का नोटिस केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय बोर्ड, यदि ऐसी सरकार या बोर्ड प्रतिवादी है, को तामील कर दिया गया है—

(ii) अपील का नोटिस उस प्राधिकारी को तामील कर दिया गया है जिसने उस आदेश को पारित किया जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है; और

(iii) अधिकरण का यह समाधान हो गया है कि ऐसे प्रतिवादियों के हितों को जिन्हें अपील का नोटिस तामील नहीं किया गया है उन प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्ततः और काफी हद तक प्रतिवेदित कर दिया गया है, जिन्हें अपील का नोटिस तामील किया गया है।

12. प्रतिवादियों द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना :—

(1) प्रत्येक वह प्रतिवादी जो अपील पर प्रतिवाद करना चाहता है उसको अपील का नोटिस प्राप्त होने के एक माह के भीतर पेपर-बुक रूप में अपील के प्रत्युत्तर की तीन प्रतियां वह इस संबंध में आधार बनाये गये दस्तावेज रजिस्ट्री में जमा करवायेगा।

(2) उप नियम (1) अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये उत्तर में प्रतिवादी स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा अपील में दिये गये तथ्यों को स्वीकार करेगा, अस्वीकार या स्पष्ट करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्य बतायेगा जो मामले के ऐसे न्यायसंगत निर्णय के लिये आवश्यक समझे जाये। इसे सिविल प्रक्रिया कोड, 1908 (1908 का 5) के नियम 15 के आदेश VI में यथा प्रदत्त रूप में प्रतिवादी या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यांकित लिखित बयान माना जायेगा।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को भी उत्तर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा और उन्हें उ. 1, उ. 2, उ. 3, के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

(4) प्रतिवादी उप-नियम (1) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उत्तर एक प्रति अपीलकर्ता या उसके वकील, यदि कोई हो, को देगा और इसका प्रमाण रजिस्ट्री में प्रस्तुत करेगा।

(5) निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् अधिकरण उत्तर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

13. सुनवाई की तिथि और स्थान अधिसूचित किया जाना—

अधिकरण अपील की सुनवाई की तिथि और स्थान इस रूप में पक्षकारों को अधिसूचित करेगा। जिस रूप में पीठासीन अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

14. मामलों की डायरी :—(1) मामलों की सुनवाई के लिये अधिकरण एक डायरी बनायेगा और जहां तक संभव हो सूची के अनुसार मामलों की सुनवाई करेगा और उन पर निर्णय करेगा।

(2) प्रत्येक अपील को, जहां तक संभव हो, उसके पंजीकरण की तिथि से छः माह के भीतर सुना जायेगा और उस पर निर्णय लिया जायगा।

(3) किसी स्थान को अस्वीकार करने और मौखिक तर्कों के लिये समय सीमित करने की भी शक्ति अधिकरण को होगी।

15. अपीलकर्ता की चूक पर अपील पर कार्रवाई :

(1) जब अपील की सुनवाई के लिये नियत तिथि पर या अन्य किसी तिथि जिस तक ऐसी सुनवाई स्थगित कर दी गई हो, अपील पर सुनवाई के लिये यदि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो अधिकरण अपने विवेकानुसार या तो अपील को चूक के आधार पर खारिज कर सकता है या गुणों के आधार पर निर्णय दे सकता है।

(2) जहां चूक के लिये कोई अपील खारिज कर दी गई हो और खारिज किये जाने के तीस दिन के भीतर अपीलकर्ता अपील दायर करता है और अधिकरण को संतुष्ट करता है कि जब अपील सुनवाई के लिये ली गई थी तो उसके अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण था तो अधिकरण अपील को खारिज करने वाले आदेश को रद्द करने का आदेश कर सकता है और उसे पुनः स्थापित कर सकता है :

परन्तु जहां मामला गुणों के आधार पर निपटाया गया था, निर्णय पुनरीक्षण के अलावा किसी अन्य रूप से दोबारा नहीं लिया जायेगा।

16. अपील की एक पक्षीय सुनवाई और निपटान :—(1) जब अपील की सुनवाई के लिये नियत तिथि पर या अन्य किसी तिथि जिस तक ऐसी सुनवाई स्थगित कर दी गई हो अपील की सुनवाई के लिये जाने पर यदि अपीलकर्ता उपस्थित होता है और प्रतिवादी नहीं तो अधिकरण अपने विवेकानुसार सुनवाई स्थगित कर सकता है या एक पक्षीय सुनाई कर सकता है और निर्णय दे सकता है।

(2) जहां किसी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई अपील एक-पक्षीय रूप से सुनी गई हो तो ऐसा प्रतिवादी या ऐसे प्रतिवादी अधिकरण को इस आदेश को रद्द करने के लिये आवेदन कर सकता है और यदि ऐसा प्रतिवादी या ऐसे प्रतिवादी अधिकरण को संतुष्ट कर देता है कि उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था या जब सुनवाई के लिये अपील बुलाई गई थी तो उन्हें किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था तो अधिकरण ऐसी शर्तों, जैसी वह उचित समझे, पर उसके या उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई को रद्द करने का

आदेश दे सकता है और अपील पर आगे कार्रवाई करने के लिये कोई दिन नियत कर सकता है ;

परन्तु यह कि जहां अपील की एक पक्षीय आदेश इस प्रकृति है कि उसे केवल एक प्रतिवादी के विरुद्ध ही मानकर रद्द नहीं किया जा सकता तो उसे तभी या अन्य प्रतिवादियों में से किसी एक के विरुद्ध भी रद्द किया किया जा सकता है ;

परन्तु आगे यह कि नियम 11 के उप-नियम (8) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में अधिकरण एक पक्षीय आदेश वाली अपील को केवल इस आधार पर ही रद्द नहीं करेगा कि वह प्रतिवादी या प्रतिवादियों को प्राप्त नहीं हुआ है।

17. विधिक अभिकर्ता का प्रतिस्थापन :—(1) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो मृत पक्षकार का किसी विधिक अभिकर्ता ऐसी मृत्यु की तारीख के तीस दिन के भीतर आवश्यक पक्षकारों के रूप में रिकार्ड में दर्ज किये जाने के लिये आवेदन कर सकता है।

(2) जहां विधिक अभिकर्ताओं से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है वहां मृतक पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही का उपशमन होगा ;

परन्तु कि अधिकरण, आवेदन करने पर गुण-दोष और पर्याप्त कारणों के आधार पर उपशमन के आदेश को अपास्त कर सकता है और विधिक अभिकर्ता को बदल सकता है।

18. सुनवाई का स्थापित किया जाना :—यदि कार्यवाहियों की किसी भी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो अधिकरण पक्षकारों अथवा उनमें से किसी को समय की अनुमति प्रदान कर सकता है तथा अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकता है।

19. आदेश पर हस्ताक्षर किया जाना और तारीख दिया जाना —(1) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पर आदेश सुनाने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(1) आदेश को न्यायालय में सब के सामने सुनाया जायेगा।

20. आदेशों को पक्षकारों के लिए भेजा जाना :—(1) किसी अपील पर पारित किए गए प्रत्येक आदेश को अपील करने वाले को अथवा संबद्ध प्रतिवादी को निःशुल्क या तो दस्ती अथवा पंजीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जाएगा।

(2) यदि किसी कार्यवाही के संबंध में अपील करने वाला अथवा प्रतिवादी किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही की प्रति की मांग करता है तो उसे उसकी एक प्रति की आपूर्ति ऐसे शुल्क की अदायगी की ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जाए।

21. कतिपय मामलों में आदेश और निर्देश :—अधिकरण ऐसे आदेश दे सकता है अथवा ऐसे निर्देश दे सकता है जो इसके आदेशों को प्रभावी बनाने अथवा इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने अथवा अन्तिम न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और समीचीन हों।

22. अधिकरण के कार्य घंटे :—शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर अधिकरण का कार्यालय, पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश के आधीन रहते हुए, 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा।

23. अधिकरण के पीठासीन घंटे :—अधिकरण के पीठासीन घंटे सामान्यतः 10.30 बजे पूर्वाह्न से 1.30 बजे अपराह्न तक और 2.30 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक होंगे जो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश के अध्यधीन होंगे।

24. रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य :—(1) रजिस्ट्रार अधिकरण के अभिलेखों को अभिरक्षा में रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों को निष्पादित करेगा जैसे उसे इन नियमों के अधीन या किसी पृथक आदेश द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा सौंपे जाएं।

(2) सरकारी मुद्रा रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(3) पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किसी सामान्य या विशिष्ट निर्देश के अधीन रहते हुए, अधिकरण की मुद्रा रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकरण को छोड़कर किसी आदेश, समन या अन्य प्रक्रिया पर नहीं लगाई जाएगी।

(4) अधिकरण की मुद्रा अधिकरण द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति पर, रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार को छोड़कर, नहीं लगाई जाएगी।

25. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियां और कार्य :—इन नियमों में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार को निम्नलिखित शक्तियां और कार्य प्राप्त होंगे जो कि पीठासीन प्राधिकारी के किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश के अधीन रहते हुए होंगी, अर्थात् :—

(i) सभी अपीलों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना;

(ii) अपीलों को पंजित किए जाने से पहले उनकी विधिक्षा के कारण उत्पन्न सभी प्रश्नों को निर्णीत करना;

(iii) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील में अधिनियम और नियमों के अनुसार संशोधन किया जाना अपेक्षित करना;

(iv) अधिकरण निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, अपीलों या अन्य कार्यवाहियों के लिए पहली सुनवाई के लिए तिथि नियत करना और उसके नोटिस जारी करना;

(v) अभिलेखों में किसी औपचारिक संशोधन के लिए निर्दिष्ट करना;

(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने के लिए आदेश देना;

(vii) अधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आज्ञा प्रदान करना;

(viii) नोटिस को तामील करने या नए नोटिस जारी करने के लिए और ऐसी अपीलों को दायर करने के लिए समय को बढ़ाने और कोई जवाब या रिज्वाईंडर यदि, कोई हो तो दाखिल करने के लिए अधिक से अधिक 15 दिन का समय देने के लिए और उपरोक्त अवधि समाप्त होने के बाद समुचित आदेश के लिए अधिकरण के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के लिए अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सभी विषयों का निपटान करना;

(ix) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखे अभिलेखों की मांग करना;

(x) अपील के लम्बित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने के लिए मृत्यु की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपीलें प्राप्त करना;

(xi) प्रतिस्थापन संबंधी अपीलों को प्राप्त करना और निपटान करना किन्तु वहां जहां प्रतिस्थापन में उपशमन के किसी आदेश को अपास्त किया जाना अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसा नहीं होगा;

(ii) दस्तावेजों को लौटाने के लिए पक्षकारों के आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटान करना।

26. मुद्रा और चिन्ह :—अधिकरण की सरकारी मुद्रा और चिन्ह इस प्रकार की होगी जैसी केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

27. अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और स्टाफ की वर्दी :—अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और स्टाफ के सदस्यों की वर्दी ऐसी होगी जैसी पीठासीन अधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

28. पक्षकारों की वर्दी :—अधिकर्ता या, यथास्थिति, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अधिकरण के समक्ष अपनी व्यावसायिक वर्दी, यदि कोई हो, में उपस्थित होगा, और यदि ऐसी कोई वर्दी नहीं है तो;

(i) यदि पुरुष है तो बन्द कालर का कोट और पैन्ट या लांज सूट में;

(ii) यदि महिला है, तो साड़ी में या किसी सोबर कालर की अन्य परम्परागत पोशाक।

29. अधिकरणी के खर्च :—अधिकरण के समस्त खर्चे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा वहित किए जाएंगे।

अनुबन्ध

फार्म—1

(नियम 4 देखें)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7-अ के अधीन अपील

मामले का नाम	अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं
क्र सं	अभिलम्बित किए गए दस्तावेजों का	
1.	वर्णन	
2.		
3.	अपील	
4.		

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय के प्रयोग के लिए

दायर की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

रजिस्ट्रीकरण से

हस्ताक्षर

कृते रजिस्ट्रार

कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण पीठ में

के मध्य

क	ख	अपीलकर्ता
		प्रतिवादी
	और वनाम	अपील
ग	घ	

अपील के ब्यौरे

(i) अपीलकर्ता के विवरण

(ii) अपीलकर्ता का नाम

(iii) कार्यालय का पता

(iv) नोटिस तामील करने का पता

2. प्रतिवादी के विवरण

(i) प्रतिवादी का नाम

(ii) कार्यालय का पता

(iii) नोटिस तामील करने का पता।

3 आदेश/अधिसूचना के विवरण जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है ; अपील निम्नलिखित आदेश/ अधिसूचना के विरुद्ध दायर की गई है :—

(1) आदेश/अधिसूचना सं. अनुबन्ध में संदर्भित

(2) दिनांक

(3) द्वारा पारित

(4) संक्षिप्त विषय

4. अधिकरण का कार्यक्षेत्र :—

अपीलार्थी घोषणा करता है कि आदेश की विषय वस्तु जिसके विरुद्ध निवारण की मांग की गई है अधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर है।

5. सीमाएं :

अपीलार्थी आगे घोषणा करता है कि अपील कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 952 की धारा 7-क में विहित सीमाओं के भीतर है।

6. मामले के तथ्य :—

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :—

(तथ्य के संक्षिप्त विवरण कालक्रम में दें जहां तक हो सके प्रत्येक पैराग्राफ में अलग मुद्दा तथ्य अथवा अन्य बातें लिखें।

7. उपयोग किए जा चुके उपचारों के ब्यौरे :—

अपीली घोषणा करता है कि उसने अधिनियम के अधीन उसे प्राप्त सभी उपचारों का उपयोग कर लिया है।

(दिए गए अभ्यावेदनों के कालक्रमानुसार ब्यौरे द और अनुबन्ध संख्या का संदर्भ देते हुए ऐसे अभ्यावेदनों के परिणाम लिखें।)

8. पहले दायर न किए गए या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित विषय :—

अपीलार्थी आगे यह घोषणा करता है कि उसने उस विषय के संबंध में किसी विधि न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकरण अन्य अधिकरण पीठ के समक्ष पहले कोई अपील, रिट याचिका या वाद दायर नहीं किया है जिसके संबंध में ये अपील दायर की गई हैं और न ही कोई ऐसा आवेदन रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के समय लम्बित है।

यदि अपीलार्थी ने पहले कोई आवेदन रिट याचिका या वाद दायर की है तो वह स्थिति जहां मामला लम्बित है, और यदि फैसला हो चुका है, तो फैसले का सार अनुबन्ध का संदर्भ देते हुए दिया जाना चाहिए।

9. मांगी गई राहतें :—

उपरोक्त पैरा 6 में वर्णित तथ्यों की दृष्टि में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना करता है :—

(नीचे मांगी गई राहतों को निर्दिष्ट करें और उन राहतों के आधार को स्पष्ट करें और उन कानूनी उपबंधों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख करें जिस पर अवलंबन किया गया है)

10. अन्तरिम आदेश, यदि हो, जिसके लिए प्रार्थना की गई हो :—

अपील पर अंतिम फैसला लिए जाने तक अपीलार्थी निम्नलिखित अन्तरिम आदेश जारी किए जाने की मांग करता है :—

(प्राप्ति अंतरिम आदेश की प्रकृति को यहां लिखें और उनके कारण भी लिखें।)

11. उपस्थिति में जब कोई अपील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है यह बताया जाए कि क्या अपीलार्थी दायर की स्थिति पर मौखिक सुनवाई को इच्छा करता है और यदि हां तो वह एक अपना पता लिखित पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पत्र संलग्न करेगा जहां उसे सुनवाई की तिथि के बारे में सूचना भेजी जा सकती है।

12. अपील फीस के लिए बैंक ड्राफ्ट पोस्टल आर्डर के विवरण :—

1. उस बैंक का नाम जहां आहरित किया गया

2. डिमांड ड्राफ्ट से

अथवा

1. भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या

2. जारी करने वाले डाकघर का नाम

3. पोस्टल आर्डर जारी करने की तारीख

4. डाक घर जहां देय हो।

13. अनुलग्नकों की सूची :—

1.

2.

3.

4.

सत्यापन

मैं.....(अपीलकर्ता का नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....आयु .....जो,
..... के रूप में.....के कार्यालय में
कार्यरत है और .....का निवासी है,
एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि पैरा.....से
.....की विषयवस्तु मेरी वैयक्तिक जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा.....से.....
तक की विषयवस्तु विधि सलाह के अनुसार सत्य है
ऐसा विश्वास है और कि मैंने कोई तथ्य छिपाया
नहीं है।

दिनांक

स्थान अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

सेवा में

रजिस्ट्रार,

फार्म 11

[नियम 4(1) देखें]

रसीद स्लिप

श्री/कुमारी/श्रीमती .....
जो.....कार्यालय में कार्यरत
हैं और .....के निवासी हैं, से उनके
द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अपीली अधिकरण में दायर की
गई अपील की प्राप्ति को एतद्द्वारा अस्वीकृत किया
जाता है।

कृते रजिस्ट्रार)

तिथि (ई पी एफ अपील अधिकरण)

सील [फाईल सं. एस 35013/4/96 एस एस II]

जे.पी. शुक्ला अवर सचिव

New Delhi, the 2nd June, 1997

G.S.R. 268.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 21 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Employees Provident Funds Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1997.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Act' means the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

(b) "Agent" means a person duly authorised by a party to present an appeal or a written reply on its behalf before the Tribunal;

(c) "Appellant" means a person or the establishment making an appeal to the Tribunal under Section 7-I;

(d) "Form" means a form specified in Appendix;

(e) "Legal Practitioner" shall have the same meaning as is assigned to it in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(f) "Legal Representative" means a person who in law represents the estate of the deceased;

(g) "Registrar" means the Registrar appointed for the Tribunal and includes any officer to whom the powers and functions of the Registrar may be delegated under these rules;

(h) "Registry' means the Registry of the Tribunal;

(i) "Tribunal" means the Employees Provident Funds Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 7D of the Act;

(j) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Language of the Tribunal.—The language of the Tribunal shall be English :

Provided that the parties proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Hindi, if they so desire :

Provided further that : (a) the Tribunal may, in its discretion permit the use of Hindi in the proceedings but the final order shall be in English;

(b) the Tribunal hearing the matter, may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filed.

4. Procedure for Filing Appeals.—(1) An appeal to this Tribunal shall be presented in Form I by the appellant in person or by an agent or by a duly authorised legal practitioner to the Registry or any other officer authorised in writing by the Registrar to receive the same or be sent by registered post with acknowledgement duly addressed to the Registrar of the Tribunal.

(2) The appeal unde sub-rule (1) shall be presented in triplicate in a paper-book form alongwith one unused file size envelope bearing full address of the respondent.

(3) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the appeal in paper book form as there are repondents together with unused file size envelopes bearing the full address of each respondent shall be furnished by the appellant.

Provided that where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the appellant to file the extra copies of the appeal at the time of issue of notice to the respondents.

(4) The appellant may attach to and present with his appeal a receipt slip in Form II which shall be signed by the Registrar or the Officer receiving the appeal on behalf of the Registrar in acknowledgement of the receipt of the appeal.

5. Presentation and scrutiny of appeals.—(1) The Registrar or the officer authorised by him under Rule 4, shall endorse, on every appeal the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement.

(2) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order it shall be duly registered and given a serial number.

(3) If the appeal, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal is nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature, the Registrar may allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the appellant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Registrar may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal and inform the appellant accordingly.

6. Place of Filing Appeals .—The appeal shall ordinarily be filed by the appellant with the Registrar of the Tribunal within whose jurisdiction :—

(i) the appellant is residing for the time being, or

(ii) the cause of action has arisen, or

(iii) the respondent or any of the respondents against whom relief sought, ordinarily resides :

7. FEE, TIME FOR FILING APPEAL, DEPOSIT OF AMOUNT DUE ON FILING APPEAL

(1) Every appeal filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of rupees two hundred to be remitted either in the form of crossed demand draft on a nationalised bank in favour of the Registrar of the Tribunal and payable at the main Branch of that bank at the station where the seat of the said Tribunal is situated, or remitted through a crossed Indian Postal Order drawn in favour of the Registrar of the Tribunal and payable at the post office of the station where the said Tribunal is situate :

(2) Any person aggrieved by a notification issued by the Central Government or an Order passed by the Central Government or any other authority under the Act, may within 60 days from the date of issue of the notification/order, prefer an appeal to the Tribunal :

Provided that the Tribunal may if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed period, extend the said period by a further period of 60 days:

(3) Provided further that no appeal by the employer shall be entertained by a Tribunal unless he has deposited with the Tribunal 75 per cent of the amount due from him as determined under section 7-A.

Provided also that the Tribunal may for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under Section 7-O.

8. Content of the Appeal :—(1) Every appeal filed under rule 4 shall set forth concisely under distinct heads the grounds for such appeal. Such grounds shall be numbered consecutively. Every appeal, including any miscellaneous appeal shall be typed in double space on one side on thick paper of good quality.

9. Documents to accompany the appeal :—(1) Every appeal shall be accompanied by a paper-book containing :

(i) an attested true copy of the order against which the appeal is filed;

(ii) copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal;

(iii) an index of the documents.

(2) The documents referred to in sub-rule (1) may be attested by a legal practitioner or by a gazetted officer and each document shall be marked serially the Annexure A1, A2 A3 and so on.

(3) Where an appeal is filed by an agent, document authorising him to act as such agent shall also be appended to the appeal;

Provided that where an appeal is filed by a legal practitioner, it shall be accompanied by a duly executed 'Vakalatnama'.

10. Plural Remedies :—An appeal shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.

11. Servict of notices and processes issued by the Tribunal :—(1) Notices or process to be issued by the Tribunal may be served by any of the following modes directed by the Tribunal :—

(i) service by the party itself;

(ii) by hand delivery (Dasti) through process server;

(iii) by registered post with acknowledgement due;

(2) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself by 'hand delivery' (Dasti), he shall file with the Registry of the Tribunal, the acknowledgement, together with an affidavit of service.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Tribunal may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the appeal shall be served upon the respondents in any other manner including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.

(4) Notwithstanding anything done under sub-rule (1) the Tribunal may in its discretion, having regard to the nature and urgency of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsels appointed as such by the Central Government or any State Government or any other authority the Act.

(5) Every notice issued by the Tribunal shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the appeal alongwith a copy of the paper-book.

(6) Every appellant shall pay a fee for the service or execution of processes in such manner as the Tribunal may direct under sub-rule (3) such a sum, not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Tribunal.

(7) The fee for the service or execution of processes under sub-rule (3) shall be remitted in the manner prescribed in rule 7 within one week of the date of the order determining the fee or within such extended time as the Registrar may permit.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (4), is the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of appeal upon all the respondents, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the appeal shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application; provided that no appeal shall be heard unless :—

(i) notice of the appeal has been served on the Central Government or the State Government or the Central Board or if such Government or Board is a respondent.

(ii) notice of the appeal has been served on the authority which passed the order against which the appeal has been filed; and

(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the appeal has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the appeal has been served.

12. Filing of reply and other document by the respondents :—(1) Each respondent intending to contest the appeal, shall file in triplicate the reply to the appeal and the documents relied upon in paper-book form with the Registry within one month of the service of notice of the appeal on him.

(2) In the reply filed under sub-rule (1), the respondent shall specifically, admit, deny or explain the facts stated by the appellant in his appeal and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case. It shall be signed and verified as a written statement by the respondent or any other person duly authorised by him in writing in the same manner as provided for in Order VI, Rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(3) The documents referred to in sub-rule (2) shall also be filed alongwith the reply and the same shall be marked as R1, R2, R3 and so on.

(4) The respondent shall also serve a copy of the reply alongwith documents as mentioned in sub-rule (1) on the appellant or his legal practitioner, if any, and file proof of such service in the Registry.

(5) The Tribunal may allow filing of the reply after the expiry of the prescribed period.

13. Date and place of hearing to be notified :—The Tribunal shall notify to the parties the date and the place of hearing of the appeal in such manner as the Presiding Officer may be general or special order direct.

14. Calendar of cases :—(1) The Tribunal shall draw up a calendar for the hearing of cases and, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar.

(2) Every appeal shall be heard and decided, as far as possible, within six months from the date of its registration.

(3) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral arguments.

15. Action on appeal for appellant's default :—(1) Where on the date fixed for hearing of the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion either dismiss the appeal for default or hear and decide it on merit.

(2) Where an appeal has been dismissed for default and the appellant files an appeal within thirty days from the date of dismissal and satisfies the Tribunal that there was sufficient case for his non-appearance when the appeal was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the appeal and restore the same :

Provided, however, where the case was disposed of on merits the decision shall not be re-opened except by way of review.

16. Ex-parte hearing and disposal of appeal :—(1) Where on the date fixed for hearing the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant appears and the respondent does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the appeal ex-parte.

(2) Where an appeal has been heard ex-parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing the Tribunal may make an order setting aside the ex-parte hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal :

Provided that where the ex-parte order the appeal is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also :

Provided further that in cases covered by sub-rule (8) of rule 11, the Tribunal shall not set aside ex-parte order of an appeal merely on the ground that it was not served upon a respondent or respondents.

17. Substitution of legal representatives :—(1) In the case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the legal representatives of the deceased party may apply within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.

(2) Where no aplication is received from the legal representatives within the period specified in sub-rule (1), the proceedings against the deceased party shall abate :

Provided that on good and sufficient reasons the Tribunal, on an application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.

18. Adjournment of Hearing :—The Tribunal may if sufficient cause is shown at any stage of proceedings grant time to the parties or any of them, and adjourn the hearing of the appeal.

19. Order to be signed and dated :—(i) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by he Presiding Officer who pronounced the order.

(ii) The order shall be pronounced in open Court.

20. Communication of Orders to Parties :— (1) Every final order passed on any appeal shall be communicated to the appellant and to the respondent concerned either by hand delivery or by registered post free of cost.

(2) If the appellant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees as may be fixed by the Presiding Officer by general or special order.

21. Orders and directions in certain cases :—The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

22. Working hours of the Tribunal.—Except on Saturday, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the Presiding Officer remain open from 9.30 A.M. to 6.00 P.M.

23. Sitting hours of the Tribunal :—The sitting hours of the Tribunal shall ordinarily be from 10.30 A.M. to 1.30 P.M. and 2.30 P.M. to 5.00 P.M. subject to any general or special order made by the Presiding Officer.

24. Powers and functions of the Registrar :—(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as are assigned to him under these rules or by the Presiding Officer by separate order.

(2) The Official seal shall be kept in the custody of the Registrar.

(3) Subject to any general or special direction by the Presiding Officer, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar.

(4) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal save under the authority in writing of the Registrar.

25. Additional powers and duties of Registrar :—In addition to the powers conferred elsewhere in other rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Presiding Officer namely :—

(i) to receive all appeals and other documents;

(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals before they are registered;

(iii) to require any appeal presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Act and the rules;

(iv) subject to the direction of the Tribunal, to fix the date of first hearing of the appeals or other proceedings and issue notices thereof;

(v) to direct any formal amendment of records;

(vi) to order grant of copies of documents to parties to the proceedings;

(vii) to grant leave to inspect the records of the Tribunal;

(viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes for the issue of fresh notices and for extending the time for filing such appeals and to grant time not exceeding 15 days for filing a reply or rejoinder if any, and to place the matter before the Tribunal for appropriate orders after the expiry of the aforesaid period;

(ix) to requisition records from the custody of any court of other authority;

(x) to receive appeals within thirty days from the date of death for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the appeals;

(xi) to receive and dispose of appeals for substitution, except where the substitution would involve setting aside on order of abatement ;

(xii) to receive and dispose of application by parties for return of documents.

26. Seal and Emblame.—The official seal and emblem of the Tribunal shall be in a round shape bearing name of the Tribunal in capital letters with Ashoka Pular in the Centre.

27. Dress of the presiding officer and staff of the Tribunal.—The dress for the Presiding Officer of the Tribunal and members of the staff of the Tribunal shall be such as the Presiding Officer may specify.

28. Dress of the Parties.—A legal practitioner or, as the case may be a Presiding Officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any, and if there is no such dress :—

(i) if a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit ;

(ii) if a female, in a saree or any other customary dress of a sober colour ;

29. Expenses of the Tribunals.—The entire administrative expenses of the Tribunals shall be borne by the Central Board of Trustees, Employees Provident Fund.

APPENDIX

FORM-I

(See Rule 4)

APPEAL UDDER SECTION 7-I OF THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS

PROVISIONS ACT, 1952

Title of the Case :

INDEX

Serial No.	Description of documents relied	Page No.
1.		
2.	APPEAL	
3.		
4.		

Signature of the Applicant.

For use in Tribunal Office.
Date of filing
or
Date of Receipt by post.
Registraion No.

Signature
for Registrar

IN THE EMPLOYEES PROVIDENT FUNDS APPELLATE TRIBUNAL

BETWEEN

A. B. APPELLANT.

Versus

C. D. RESPONDENT.

DETAILS OF APPEAL

1. Particulars of the appellant
(i) Name of the appellant
(ii) Office address
(iii) Address for service of notices.
2. Particulars of the respondent :
(i) Name of the respondent
(ii) Office address
(iii) Address for service of notices.

3. Particulars of the order/notification against which appeal is made. The appeal is against the following order/notification :—

(i) Order/notfication No. with reference to Annexure

(ii) Date

(iii) Passed by

(iv) Subject in brief

4. Jurisdiction of the Tribunal.—The appellant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

5. Limitation.—The appellant further declares that the appeal is within the limitation prescribed in Section 7-I of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

6. Facts of the case.—The facts of the case are given below:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or othtrwise).

7. Details of the remedies exhausted.—The appellant declares that he has availed of all the remedies available to him under the Act.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representation with reference to the Annexure numbers.)

8. Matters not previously filed or pending with any other Court.—The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal and nor any such appeal writ petition or suit is pending before any of them.

In case the appellant had previously filed any appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given with reference to the Annexure.

9. Relief(s) sought.—In view of the facts mentioned in para 6 above the appellant prays for the following relief(s):—
(Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon.)

10. Interim order, if any prayed for :—Pending final decision on the appeal the appellant seeks issue of the following interim order :—

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons.)

11. In the event of appeal being sent by Registered post, it may be stated whether the appellant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a self addressed Post Card, Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.

12. Particulars of Bank Draft/Postal Order in respect of the Appeal Fee :

1. Name of the Bank on which drawn.
2. Demand Draft No.

OR

1. Number of Indian Posal Order(s)
2. Name of the issuing Post Office
3. Date of Issue of Postal Order(s)
4. Post Office at which payable

13. List of enclosures :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERIFICATION

I, ...(Name of the appellant)
S/o, D/o, W/o .....Age.....working
as .....in the office of.....
.....
.....Resident of .....
.....
.....do hereby verify that the contents of paras.....to..... are true to my personal knowledge and para.....to.....believed to be true on legal advice and that I have not supressed any material fact.

Signature of the appellant

Date :
Place :

To
The Registrar,

FORM-II

(See Rule 4(1)

RECEIPT SLIP

Receipt of the appeal filed in the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal by Shri/Kum./Smt./
.....
working in/for .....
of .....residing at .....
.....is hereby acknowledged.

For Registrar
Date : EPF appellate Tribunal
Seal :

[File No. S-35013/4/96-SS. II.]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

(नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली 4 जून, 1997

सा०का०नि० 269.—केन्द्रीय सरकार शिक्षु अधिनियम 1961(1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात, शिक्षुता नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2)यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे। 2शिक्षुता नियम, 1991 के नियम 7 के उपनियम (i) में शीर्ष के "समूह सं. 14-मुद्रण व्यवसाय समूह" के अधीन,—

(क) उप शीर्षक "(1) टाइपसैटिंग समूह' के अधीन क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(ख) उप शीर्ष "(ii) मुद्रण समूह और संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं.डी जीईटी 23(10)-97 ए पी]
कृष्णा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 4th June, 1997

G.S.R. 269.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1991, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1991, in rule 7, in sub-rule (i), under the heading GROUP NO. 14—PRINTING TRADE GROUP",—

Under sub-heading "(i) TYPE SETTING GROUP", serial number 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

(b) sub-heading "(ii) of Printing Group" and entries relating thereto shall be omitted.

[No. DGET. 23(10)/97-AP]
KRISHNA SHARMA, Under Secy.

NOTE.—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide GSR 356, dated 1-8-92 and subsequently amendment vide GSR 538, dated 15-10-93 and GSR 496, dated 31-10-96.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054.